



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2019

संख्या 92/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों या संव्यवहारों, जिनमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गये हों, को न तो माल का प्रदाय और न ही सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:—

“लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क, या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।”

संजीव कौशल,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 92/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State Governments in which they are engaged as public authorities, shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services, namely:-

“Service by way of grant of alcoholic liquor licence, against consideration in the form of licence fee or application fee or by whatever name it is called.”

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.